बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

सं0–3/स्था0अं0अ0 (संविदा)–01/2013–493 (3)/रा0, दिनांक–31/12/2013

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राज्य के सभी जिलों में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण/सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय–सीमा के अंदर संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति से अनुशंसित निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–979 दिनांक–20.06.2012 के आलोक में कुल 20000/– (बीस हजार) रूपये निर्धारित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले धटित हो, तक के लिए नियोजित कर कॉलम–5 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम/पत्राचार का पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पद एवं पदस्थापन स्थान
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री अब्बू खालिद, मोहल्ला–महेशपट्टी, मिल्लत कॉलेज से उत्तर, अता मंजिल के पीछे, पो0–लालबाग, जिला–दरभंगा	09.01.1953	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय

2. उपर्युक्त चयनित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। इनके कार्यों की समीक्षा इनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। नियंत्री पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवाएँ विस्तार 2014–15 तक के लिए की जा सकती है।

3. इनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा समय–समय पर इनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो बिना किसी कारण पृच्छा किये इन्हें उक्त पद एवं कार्य से विमुक्त कर दिया जायेगा।

4. संविदा पर नियोजित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वजट मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य–उप शीर्ष–0101–सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण–माँग सं0–40–विपत्र कोड–P-202900102010। राज्य योजना स्कीम कोड–REV-5536 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ अनुबंध किये गए कर्मी अपने पदस्थापन स्थल एवं पद पर सात दिनों के अन्दर योगदान समर्पित करेंगे।

6. अनुबंध किये जाने के उपरान्त बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. अनुबंधित पदाधिकारी योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

8. इन्हें सरकारी कर्मियों को देय कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी तथा मानदेय के अतिरिक्त कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0अं0अ0 (संविदा)–01/2013– 493 (3)/रा0, दिनांक–31/12/2013

प्रतिलिपिः–सचिव–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना/सम्बन्धित समाहर्त्ता/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों की कार्यो की समीक्षा कर विभाग को समय–समय पर प्रतिवेदित करेंगे।

3. बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को सम्बन्धित पदाधिकारियों के एकरारनामा की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0अं0अ0 (संविदा)–01/2013– 493 (3)/रा0, दिनांक–31/12/2013

प्रतिलिपिः–आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेवसाइट upload करने हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के अपर सचिव